भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
02.04.2025 के
तारांकित प्रश्न सं. 457 का उत्तर

राजस्व की निगरानी

***457. श्री परषोत्तमभाई रुपाला:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे प्रत्येक रेलवे स्टेशन द्वारा सृजित राजस्व के प्रवाह की निगरानी करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) रेलवे द्वारा प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर कार्य पद्धति को आधुनिक बनाने के लिए मंडलवार क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार की इस कार्य को विशेषज्ञ एजेंसियों को सौंपने की योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या रेलवे प्रत्येक कर्मचारी के कार्यभार का नियमित रूप से आकलन कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

दिनांक 02.04.2025 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 457 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ग): भारतीय रेल के पास प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर सृजित राजस्व की निरंतर निगरानी के लिए एक व्यापक तंत्र है। यात्री खंड से आमदनी और यात्रियों की संख्या के आधार पर, रेलवे स्टेशनों को गैर-उपनगरीय ग्रेड (एनएसजी1-6), उपनगरीय ग्रेड (एसजी1-3) और हॉल्ट ग्रेड (एचजी1-3) स्टेशनों में वर्गीकृत किया जाता है।

स्टेशन पर राजस्व के स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) यात्री खंड से आमदनी: आरक्षित यात्री खंड से आमदनी (यात्री आरक्षण प्रणाली के माध्यम से) और अनारक्षित यात्री खंड से आमदनी (अनारक्षित टिकटिंग प्रणाली के माध्यम से)।

(ii) माल ढुलाई खंड से आमदनी: माल परिवहन, विलंब शुल्क, स्थान शुल्क आदि।

(iii) अन्य कोचिंग आय: पार्सल, लगेज, प्लेटफॉर्म टिकट, डाक ढुलाई शुल्क, अमानती सामान कक्ष शुल्क, पार्सलों का विलंब शुल्क/स्थान शुल्क आदि तथा,

(iv) विविध आमदनी: किराए, पट्टे पर लिए गए पार्किंग स्थल, केटरिंग सेवा से आमदनी, भूमि के व्यावसायिक उपयोग से प्राप्त आय, सवारी डिब्बों और स्टेशनों पर विज्ञापन आदि से राजस्व।

संबंधित मंडल के नामित अधिकारियों जैसे वाणिज्यिक निरीक्षक, यात्रा लेखा निरीक्षक, आदि द्वारा राजस्व का पर्यवेक्षण किया जाता है। सभी स्तरों अर्थात् स्टेशन, मंडल और क्षेत्रीय रेल मुख्यालयों में संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर सृजित राजस्व के संबंध में निगरानी रखी जाती है।

वर्तमान राजस्व प्रबंधन प्रणाली में पारदर्शिता, सटीकता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित डिजिटल अनुप्रयोगों का उपयोग किया जा रहा है जो कि क्रिस (रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र) के डोमेन विशेषज्ञों द्वारा विकसित किए गए हैं:

- यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस)
- टर्मिनल प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस)
- पार्सल प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस)
- माल ढुलाई संचालन सूचना प्रणाली (एफओआईएस)
- यातायात लेखा प्रबंधन प्रणाली (टीएएमएस)
- ऑनलाइन भुगतान प्रणाली
- ई-भुगतान प्रणाली
- ई-तुलन-पत्र
- भारतीय रेल ई-प्रापण प्रणाली (आईआरईपीएस) आदि।

(घ): मानव संसाधन भारतीय रेल की महत्वपूर्ण परिसंपत्ति है और इसका प्रभावी रूप से, दक्षतापूर्ण और युक्तिसंगत उपयोग करना अनिवार्य है। जनशक्ति की यथेष्ट उपयोगिता के लिए, कार्यभार की बदलती स्थितियों, नई प्रौद्योगिकियां शुरू करने, कार्य प्रणाली और नई परिसंपत्तियों के सृजन को देखते हुए जन शक्ति की निरंतर समीक्षा करना महत्वपूर्ण है।

भारतीय रेल द्वारा समय-समय पर मानदंडों की समीक्षा करके प्रत्येक कर्मचारी के कार्यभार का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जा रहा है ताकि उन मानदंडों को पूरा किया जा सके। इसके अलावा, कर्मचारियों के प्रावधान की समीक्षा के लिए अलग-अलग विभागों की विभिन्न गतिविधियों के लिए जनशक्ति के यौक्तिकीकरण हेतु नियमित रूप से कार्य अध्ययन और बेंचमार्किंग की जाती है।

प्रत्येक कर्मचारी के कार्यभार को कार्य के घंटों संबंधी विनियम (एचओईआर) के प्रावधानों द्वारा भी शासित किया जाता है, जो सांविधिक प्रकृति के हैं। एचओईआर के अनुसार कर्मचारियों का वर्गीकरण आवधिक रूप से जॉब विश्लेषण के आधार पर संशोधित किया जाता है। भारतीय रेल को इस प्रक्रिया से नए संगठनों और परिसंपत्तियों के लिए जनशक्ति की तैनाती करने और अपने मौजूदा मानव संसाधनों का सबसे कुशल और कार्यक्षम रूप से उपयोग करने में सक्षमता प्राप्त होती है।

*****